

आर्तण प्रताप सिंह देव शासकीय महाविद्यालय
णंकरगढ़, जिला - बलरामपुर रामानुजगंज (उ.ग.)

महिला उत्पीड़न तथा यौन शोषण संबंधी

1. असविका यौन भावना से प्रेरित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किये गये सभी घटहात।
2. यौन अनुग्रह की घाँस।
3. यौन अर्द्ध में रंजित फ़िल्मयाँ।
4. अश्लील विवर दिखाना।
5. कोई अन्य असविका यौन भावना से प्रेरित, शारीरिक, मौखिक अवस्था गैर मौखिक सम्पर्क।
6. ऐसा यौन उत्पीड़न जो अपमान, स्वास्थ्य या सुरक्षा का भय दिखाकर किया जाय।
7. ऐसा यौन उत्पीड़न जो विदेश या याहौल दृष्टिं होने की संभावना दिखाकर किया जाय।
8. ऐसा यौन उत्पीड़न जो हानिकारक परिणामों की चेतावनी/एफ़की देकर किया जाय।
9. छेड़खानी करना।
10. किसी स्त्री की सदतंत्रता को भंग करने का प्रवत्त करना।
11. भद्रा मनाक करना।
12. फोन पर अश्लील बात करना।

यौन उत्पीड़न, यौन अपराध होने पर शीघ्र शिकायत दर्ज करायें।

आदेशानुसार
प्राचार्य







